कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / S.S(UPM) दिनांक–

20 JUN 2018

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, बेतिया
जिला– पश्चिम चंपारण

S-07 22.06.18

महाशय,

नगर परिषद, बेतिय के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 815 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1541 / 67

दिनांक– 18/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित –

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
21 JUN 2018
संख्या 6019
बिहार, पटना

तनवीर हसन 18/06/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–815 / 17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**नगर परिषद् , बेतिया**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	डा0 विपिन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि:	2015–16 से 2016–17
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	11.09.17 से 23.09.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री प्राण रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार–1, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी ,
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अप्रैल '15 से मार्च '17 का नमूना जांच की गयी।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन- नगर परिषद् बेतिया द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)

कंडिका– 1 कम जमा /नहीं जमा– (राशि– रू. 31.73 लाख)

(क) विविध रसीदों से संग्रहित राशि का कम जमा /नहीं जमा राशि– 15.08 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 27 (2) के अनुसार प्रत्येक संग्राहक अपने सारे संग्रहण (नगद राशि और/या चेक इत्यादि) राशि दैनिक रूप से 4.30 अपराहन के पहले कैशियर के पास जमा करेंगे। जमा करने से पहले सारे संग्रहण बही तथा रसीद पुस्तिका का सत्यापन राजस्व निरीक्षक/राजस्व अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन के बाद वे सारे संग्रहण कैशियर के पास जमा करके संग्रहण बही में जमा की पावती की जाएगी। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 29 (5) के अनुसार नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सप्ताह में एक दिन संग्रहण स्मारिका बही की जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे की सारी प्राप्त राशि सरकारी खजाना या बैंकों में बिना विलंब के जमा कर दी गयी है तथा रोकडपाल (कैशियर) कोई भी राशि अपने पास बिना किसी प्रमाणित मान्य कारणों के नहीं रखे हुए है तथा जॉच के साक्ष्य के रूप में इसे अंकित करेंगे।

नगर परिषद कार्यालय के विविध रसीदों के जॉच में पाया कि श्री रमन कुमार टैक्स दरोगा के द्वारा बंदोबस्ती, निर्वाचन, अमीन मापी शुल्क एवं अन्य विविध मदों से 01.04.15 से 12.09.17 की अवधि में कुल राशि रू. 43148466/– संग्रहण की गयी। आगे यह पाया गया कि संग्रहकर्त्ता के द्वारा संग्रहित राशि कभी भी एक बार में जमा नही की गयी। इसे चार अलग अलग बैंक खातों में सुविधानुसार जमा की गयी जिसमें अन्य मदों की राशि भी नकद जमा की गयी थी। बैंक में राशि जिस तिथी को जमा की गयी उसका उल्लेख दैनिक संग्रह पंजी में नहीं पाया गया। इन कारणों से लेखापरीक्षा दल के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विविध रसीदों की राशि ही जमा के रूप में परिलक्षित की जा रही थी। हालॉकि इन राशि में जो चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से ली गई उसका जमा पाया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि संग्रहकर्ता के द्वारा ही संग्रह की राशि जमा की जाती थी जिसे किसी अन्य कर्मचारी/पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन/जॉच नहीं किया जाता था। संग्रहकर्ता के द्वारा प्रस्तुत बैंक जमा पर्ची एवं बैंक पासबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार संग्रहकर्ता के द्वारा अनुसार कुल राशि रू.41640347/– जमा की गयी। इस प्रकार कुल राशि रू. 1508119/– (43148466– 41640347) अंकेक्षण की समाप्ति तक कम जमा की गयी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. राशि रू. 1508119/– कम जमा किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया।
2. संग्रहण एवं जमा हेतु उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किये जाने के कारण से अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि दिनांक 01.04.15 से 12.09. 16 तक में वसूल राशि से कम जमा राशि रू 1508119 कार्यालय में विविध विपत्र लंबित है। विपत्र पारित होने पर सारी राशि जमा करा दिया जाएगा, जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद के द्वारा उपलब्ध कराये गए जानकारी के अनुसार वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि में कोई भी असमायेाजित अभिश्रव नहीं थी। साथ बिहार लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (3) के अनुसार नगरपालिका की ओर से प्राप्त राशि बिना खाता में दर्ज किये तथा कोषागार/ बैंक खातों मे जमा किए खर्च नहीं किया जा सकता है। यह नियमविरूद्ध है।

इस प्रकार संग्रहकर्ता एवं कार्यालय के द्वारा उपरोक्त में किसी नियम का पालन नहीं किया गया। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि कम जमा राशि रू. 1508119/– का नगर कोष में जमा सुनिश्चित किया जाय।

(ख) कम जमा/नहीं जमा राशि– रू. 8.51 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान श्री रमण कुमार, कर दरोगा द्वारा सम्पति कर रसीदों से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी का संधारण किया गया था परन्तु दैनिक संग्रह पंजी के अनुसार राशि बैंक में जमा नहीं किया गया, पुनः रसीद के द्वारा प्राप्त राशि एवं बैंक में संबंधित अवधि के मिलान करने पर पाया गया कि वसूली की गई राशि रू. 70,05,769/– थी, एवं जमा की गई रू. 6154741/– थी, इस प्रकार रू. 8,51,028.00 कम जमा पाई गई। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– । पर संलग्न)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

वसूल की गई राशि रू. 8,51,028/– के जमा नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया

उपरोक्त विन्दुओं के आलोक में जवाब दिया गया कि उक्त राशि रू. 851028/– का विपत्र कार्यालय में लंबित है। भुगतेय होते ही राशि जमा करा दिया जाएगा

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद के द्वारा उपलब्ध कराये गए जानकारी के अनुसार वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि में कोई भी असमायेाजित अभिश्रव नहीं है। साथ बिहार लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (3) के अनुसार नगरपालिका की ओर से प्राप्त राशि बिना खाता में दर्ज किये तथा कोषागार/बैंक खातों मे जमा किए खर्च नहीं किया जा सकता है। यह नियमविरूद्ध है।

इस प्रकार संग्रहकर्ता एवं कार्यालय के द्वारा उपरोक्त में किसी नियम का पालन नहीं किया गया। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि कम जमा राशि रू. 851028/– का नगर कोष में जमा सुनिश्चित किया जाय।

(ग) कम जमा/नहीं जमा राशि – रू. 5.95 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(i). के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद, बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक श्री जुलुम साह, कर संग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया गया सम्पति कर रसीदों से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी के जॉच में पाया गया कि रू0 594966.00 की वसूली की गई। जिसे नगर निधि में जमा नहीं कराया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–II पर संलग्न)

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. दिनांक 30.06.2016 से पूर्व सम्पति कर का रसीद एवं दैनिक संग्रह पंजी अंकेक्षण दल को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतू अनुरोध किया गया जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. वसूली की गई राशि रू. 594966/– के जमा नहीं किये जाने के कारणो से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराये जाने हेतू अनुरोध किया गया।
3. 2015–16 एवं 2016–17 का कोई भी चालान या मनी रसीद उपलब्ध नहीं किया गया।

उपरोक्त विन्दुओं के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित कर्मचारियों को राशि कम जमा राशि करने हेतू नोटिस निर्गत कर जमा सुनिश्चित किया जाएगा।

(घ) कम जमा/नहीं जमा राशि– 1.70 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगर पालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद के विविध रसीदों के जॉच में पाया गया कि विभिन्न मदों से श्री जुगनू कुमार, सफाई प्रभारी के द्वारा रू. 276175/– की वसूली की गयी। जिसके विरूद्ध केवल रू. 106000/– नगरनिधि में जमा कराया गया। अनततः राशि रू. 170175/– जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नलिखित है–

कम सं	विविध रसीद सं	राजस्व संग्रह की अवधि	संग्रहित राशि	जमा की गयी राशि	जमा की तिथि	कम जमा की गई राशि
1	1001 से 1013 तक	25.5.14 से 12.9.14	11402	10000	6.2.15	170175
2	1014 से 1044	15.2.15 से 7.4.15	69280	22300	7.4.15	
3	1045 से 1053	9.4.15 से 15.4.15	7859	17500	15.4.15	
4	1054 से 1096	16.4.15 से 23.6.15	85463	10000	23.6.15	
				12500		
				18000	24.6.15	
5	1097 से 1100	23.6.15 से 24.6.15	2750	10400	16.7.15	
	4301 से 4316	3.7.15 से 16.7.15	25363			
6	4317	20.7.15	2000	5300	20.7.15	
7	4318	23.7.15	3504	0		
8	4319 से 4357	1.9.15 से 3.5.16	68554	0		
	कुल		276175	106000		

लेखापरीक्षा टिप्पणी

वसूल की गई राशि रू. 170175/– के जमा नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराये जाने हेतू अनुरोध किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित कर्मचारियों को राशि कम जमा राशि करने हेतू नोटिस निर्गत कर जमा सुनिश्चित किया जाएगा।

अत जवाब के आलोक में कारवाई की जाय एवं रू. 170175/– को नगर कोष में जमा सुनिश्चित किया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

(ङ) कम जमा/नहीं जमा राशि – रू. 23515

नगर परिषद, बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक श्री नूर आलम, कर संग्राहक द्वारा सम्पति कर संबंधित दैनिक संग्रह पंजी का संधारण किया गया था, परन्तु दैनिक संग्रह पंजी के अनुसार राशि बैंक में जमा नहीं किया गया। पुनः रसीद के द्वारा प्राप्त राशि एंव बैंक में संबंधित अवधि के मिलान करने पर पाया गया कि वसूली की गई राशि रू. 6439553/– थी, एंव जमा की गई रू. 6416038/– थी, इस प्रकार रू. 23515/– कम जमा पाई गई। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. 23515/– जमा नहीं करने के कारण से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। जबकि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियम 22 (1) के अनुसार अगले कार्यदिवस तक इसे नगर परिषद कोष में जमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जवाब में कहा गया कि संबंधित कर्मचारियों को राशि कम जमा राशि जमा करने हेतू नोटिस निर्गत कर जमा सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) जन्म मृत्यु पंजीकरण विलंब शुल्क की कम जमा राशि– रू0 0.20 लाख

जन्म मृत्यु पंजीकरण विलंब शुल्क से संबंधित निर्गत प्राप्ति रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। संग्रहित राशि पंजी में दर्ज की गयी थी। जिसके आधार पर तैयार विवरणी के अनुसार राशि रू. 20717/– कम जमा की गयी। विवरणी निम्नलिखित है–

क्र सं	वर्ष	संग्रहित की गई राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	संग्रहकर्ता का नाम
1	2015–16	35148	14627	20521	श्री मनोज कुमार, जे एस एस
2	2016–17	41795	41991	196	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. राशि रू. 20717/– कम जमा करने का कारण स्पष्ट करने हेतू अनुरोध किया गया।
2. प्राप्ति रसीद यदि उपलब्ध हो तो लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने हेतू अनुरोध किया गया लेकिन रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि राशि कार्यालय सहायक श्री मनोज कुमार के द्वारा संग्रहित किया गया था। उनका हस्तान्तरण हो चुका है। इस संबंध में उनसे पत्राचार किया जाएगा।

कार्यालय के द्वारा उनके विरमन से पूर्व संग्रहित राशि जमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि कम जमा राशि रू. 20717/– के नगर कोष में जमा सुनिश्चित किया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(छ) कम जमा/नहीं जमा राशि– रू. 0.04 लाख

आगे अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री मोहन प्रसाद, संग्रहकर्त्ता के द्वारा पी.आई.डी. सं0 3902007565 दिनांक 11.07.15 के द्वारा राशि रू. 4328/– प्राप्त की गयी परन्तु विहार नगरपालिका लेखा अधिनियम की धारा 22–1 का अनुपालन नहीं करते हुए राशि अंकेक्षण की समाप्ति तक जमा नहीं की गयी।

इस प्रकार कुल रू. 3172848/– (1508119+851028+594966+170175+23515+20717+4328) नगर परिषद् कोष में कम जमा पायी गयी।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि कम जमा राशि रू. 3172848/– के जमा कराने के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका– 2 अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि (राशि– रू. 2.90 लाख)

(क) अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि– रू. 1.33 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद, बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक श्री जुलुम साह, कर संग्राहक सम्पति कर रसीदों की जॉच दिनांक 02.12.15 से 27.06.16 तक रसीदों की जॉच की गई। कर संग्राहक द्वारा नियमानुसार दैनिक संग्रह पंजी संधारण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पुनः रसीद के द्वारा प्राप्त राशि एवं बैंक में संबंधित अवधि में मिलान करने पर पाया गया कि वसूल की गई राशि रू. 487333/– के विरूद्ध राशि रू.354300/– बैंक में जमा की गई एवं राशि रू. 133033/– कम जमा पाई गई।

लेखा परीक्षा दल के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कम/नहीं जमा की गयी राशि रू. 133033/– संग्रहकर्ता श्री जुलूम साह के द्वारा दिनांक 22.09.17 को बैंक में जमा करा दिया गया।

लेखा परीक्षा में बिहार नगरपालिका नियमावली नियम में 29(i) के नियम (1–3) दैनिक संग्रह पंजी अनुपलब्धता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जमा की गई 354300/– वसूल की किन अवधियों से संबंधित है। इसके साथ साथ दिनांक 02.12.15 से पूर्व का सम्पति कर रसीदों एवं दैनिक संग्रह पंजी अंकेक्षण दल को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतू अनुरोध किया गया जिसे अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि– रू. 1.10 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगर पालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद के विविध रसीदों के जॉच में पाया गया कि दुकान किराया मद से श्री आदित्य नाथ गुप्त, कर संग्राहक के द्वारा राशि रू. 110780/– की वसूली की गयी। जिसे नगरनिधि में जमा नहीं कराया गया। विवरण निम्नलिखित है–

क्र सं	विविध रसीद सं	राजस्व संग्रह की अवधि	संग्रहित राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा की गई राशि
1	1601 से 1632 तक	12.01.17 से 09.09.17	110780	0	110780

लेखा परीक्षा दल के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कम/नहीं जमा की गयी राशि रू. 110780/– विविध रसीद सं 4876 दिनांक 22.09.17 एवं राशि रू. 50780 एवं रू. 60000 दिनांक 15.09.17 को एक्सिस बैंक खाता सं 913010034566417 में जमा की गयी। परन्तु बैंक स्टेटमेंट की प्रति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अतः उपरोक्त राशि का बैंक जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त जमा राशि का बैंक जमा का साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(ग) अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि– रू. 0.27 लाख

नगर परिषद, बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक के विभिन्न कर संग्राहको का सम्पत्ति कर रसीदों, दैनिक संग्रह पंजी, रोकड़पाल रोकडबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के मिलान में पाया गया कि रू.31053.00 का न तो दैनिक संग्रह पंजी एंव रोकडबही में ही इन्द्राज पाया गया और न ही राशि बैंक में जमा की गई।

जबकि बिहार नगरपालिका लेखा अधिनियमावली नियम 22 (1) के अनुसार संग्रहित राशि को उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक राशि नगर परिषद कोष में जमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

लेखा परीक्षा दल के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कम/नहीं जमा की गयी राशि रू. 26725/– संग्रहकर्ता के द्वारा विविध रसीद सं 4879 दिनांक 22.09.17 से बैंक में जमा करा दिया गया।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि राशि रू. 26725/– में जमा करा दिया गया। बैंक स्टेटमेंट की प्रति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अत उपरोक्त का बैंक जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त जमा राशि का बैंक जमा का साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही संग्रहित राशि की ससमय जमा सुनिश्चित किया जाय।

(घ) अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि– रू. 0.18 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22 (1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद, बेतिया के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक विभिन्न कर संग्राहकों का सम्पति कर रसीदों कर से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी को जोड करने पर पाया गया कि रू0 18169/– कम जमा की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	दैनिक संग्रह पंजी का दिनांक	कुल राशि	बैंक में जमा	कम/नहीं जमा	नाम
1	01.06.15–30.06.15	47702.00	46135	1567.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
2	01.10.15–31.10.15	89737.00	88702.00	1035.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
3	03.12.15–31.12.15	104575.00	104372.00	203.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
4	04.06.16–30.06.16	420966.00	417050.00	3916.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
5	01.07.16–23.07.16	145722.00	144350.00	1372.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
6	04.10.16–28.10.16	43106.00	42452.00	654.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
7	14.12.16–20.12.16	103716.00	99340.00	4376.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
8	01.02.17–25.02.17	212196.00	209711.00	2485.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
9	02.03.17–30.03.17	549058.00	547771.00	1287.00	श्री मोहन प्रसाद, कर संग्राहक
10	02.04.15–30.04.15	815804.00	814560.00	1274.00	श्री अदित्य नाथ गुप्ता, कर संग्राहक
	कुल			18169.00	

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में माह अप्रैल 2015 में प्रापर्टी टैक्स से वसूली गयी राशि की अन्तर राशि रू. 1274 विविध रसीद सं 4878 दिनांक 22.09.17 एवं विविध रसीद सं 4877 दिनांक 22.09.17 के द्वारा रू. 16895 के द्वारा वसूल कर एक्सिस बैंक के खाता सं 913010034566417 में दिनांक 22.9.17 को जमा किया गया।

बैंक स्टेटमेंट की प्रति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अतः उपरोक्त का बैंक जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त जमा राशि का बैंक जमा का साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही संग्रहित राशि की ससमय जमा सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि– रू. 0.01 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

नगर परिषद के विविध रसीदों के जॉच में पाया गया कि राशि रू. 1000/– की वसूली की गयी परन्तु नगर निधि में जमा नहीं कराया गया। विवरण निम्नलिखित है–

क्र सं	विविध रसीद सं	वसूली की तिथि	वसूली की राशि	जमा की गई राशि	कम जमा/ नहीं जमा की गई राशि	वसूलीकर्ता का नाम
1	655	10.01.16	250	0	250	मे0 मोजम्मिल.प्र0स0
2	656	12.02.16	250	0	250	तथैव
3	657	12.02.16	250	0	250	तथैव
4	658	27.08.16	250	0	250	तथैव
कुल					**1000**	

लेखापरीक्षा दल के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कम/नहीं जमा की गयी राशि रू. 1000/– दिनांक 14.9.17 को नगर कोष के खातें में जमा कर दी गयी।

इस प्रकार अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कुल राशि– रू. 289707/– अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी।

भाग–II(ख)

कंडिका– 3 गारवेज कम्पेक्टर की खरीद में त्रुटि (राशि– रू. 37.93 लाख)

गारबेज कम्पेक्टर की खरीद से संबधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. दिनांक 21.08.12 को सभापति महोदय की अध्यक्षता में सामन्य बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के प्रस्ताव सं0 9/क/ग में गारवेज कम्पेक्टर खरीदने पर सर्वसम्मति से विचार किया गया।
2. तत्पश्चात् छपरा नगर परिषद् ने बेतिया नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी को अपने पत्र सं0 1020/29.07.13 से यह अवगत कराया कि सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना के द्वारा एक गारबेज कम्पेक्टर आपूर्ति की गयी है। जिसका दर प्रति युनिट– रू. 3474312/– है।
3. तत्पश्चात् सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना ने अपने पत्र सं0 36/03.09.13 को सामान आपूर्ति करने पर अपनी सहमति दी।
4. सहमति के आलोक में कार्यालय के द्वारा सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (1541/28.01.14, दर सभी कर सहित– रू. 3771312/–)
5. आपूर्ति आदेश के आलोक में सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना ने बेतिया नगर परिषद् से ट्रक चेचिस के लिए राशि रू. 1274312/– की मांग की। मांग के आलोक में राशि रू. 1274312/– का भुगतान अग्रिम स्वरूप चेक सं0 818810/30.1.14 के द्वारा की गयी।
6. सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना ने अपने पत्र सं0 आर.सी.भी./आई.सी./2014 दिनांक 23.07.2014 से बेतिया नगर परिषद् को यह सुचित किया कि आपका ट्रक चेचिस कम्पेक्टर के साथ भीवंडी राजस्थान नें तैयार है। आप आकर सामग्री की जांच कर लें।
7. संचिका में ट्रक चेचिस का sale Certificate 22.11.14 का संलग्न है।
8. अन्ततः साम्रगी की जांच दिनांक 05.06.2015 को की गयी। जिसमें बेतिया नगर परिषद् के तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थें।
9. आपूर्ति आदेश के आलोक में सामान की आपूर्ति सुप्रीम इंटरप्राईजेज, पटना के द्वारा दिनांक 12.08.2016 अथार्त 30 माह के बाद की गयी।
10. सामन्य बैठक दिनांक 24.08.16 के प्रस्ताव सं0 8/ख में यह निर्णय लिया गया कि पुराने आपूर्ति आदेश को मानते हुए क्रय किया जाए एवं कार्यपालक पदाधिकारी को भुगतान हेतु आदेश दिया गया।
11. आपूर्ति के आलोक में राशि का भुगतान किया गया।

विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	सभी कर सहित राशि	आयकर की कटौती @1%	वैट की कटौती @13.5%	सुरक्षित जमा राशि की कटौती @10%	कॉलम सं0 5 के अतिरिक्त राशि की कटौती @10%	अंतिम भुगतान	चेक सं0/दिनांक	सामान का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1274312	----	----	----	----	1274319	818810/30.01.14	ट्रक चेचिस	
2	2519000	22000	310000	220000	220000	1738000	711437/28.09.16	कम्पैक्टर	वैट की कटौती @14.5%
	3793312	22000	310000	220000	220000	3012312			

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि छपरा नगर निगम ने अपने पत्र सं0 1020/29.07.13 से नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बेतिया को यह स्पष्ट किया कि काम्पेक्टर के खरीद का आपूर्ति आदेश सुप्रीम इंटरप्राईजेज़, पटना को दिया गया है, परन्तु संचिका से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस पत्र के आलोक में एवं किस कारण से छपरा नगर परिषद् ने बेतिया नगर परिषद् को इस बात से अवगत कराया कि सफाई उपकरण की आपूर्ति आदेश सुप्रीम इंटरप्राईजेज को दिया गया है।
2. संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि पत्र सं0 36/ 03.09.2013 के द्वारा सुप्रीम इंटरप्राईजेज ने काम्पेक्टर राशि रू. 3474312/– पर आपूर्ति करने पर अपनी सहमति दी थी। परन्तु संचिका से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस प्रकार सुप्रीम इंटरप्राइजेज, पटना को यह पता चला कि बेतिया नगर परिषद् को एक गारवेज काम्पेक्टर की आवश्यकता है।
3. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0 2372 दिनांक–08.08.2014 के क्रम सं0– 4 में यह स्पष्ट रूप से निदेशित था कि बुडको को ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु ' राज्य क्रय संगठन' नामित किया गया हैं। इसके अलावे सभी नगर निकायों को यह विकल्प होगा कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य नगर निकाय बुडकों से करायें अथवा स्वयं करें। नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निणर्य लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेगें।' इस संबंध में बुडकों ने एक पत्र 08.01.2016 को भी निर्गत किया हैं। (सं. BUIDCO/SIU/01/145/15/07, Date-08.01.2016), सामान 12.08.2016 को आपूर्ति की गयी हैं। जब सामान की आपूर्ति अगस्त 2016 में की गयी हैं जबकि पत्र अगस्त 2014 एवं जनवरी 2016 में निर्गत किया गया था तो उक्त निर्देशानुसार बुडकों से नगर निकाय के द्वारा संपर्क नहीं साधने के कारण से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
4. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0 2372 दिनांक–08.08.2014 के क्रम सं0–4 में यह स्पष्ट रूप से निदेशित है कि बुडको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य क्रय संगठन' नामित किया गया हैं। इसके अलावे सभी नगर निकायों को यह विकल्प होगा कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

से संबंधित कार्य नगर निकाय बुडकों से करायें अथवा स्वयं करें। नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेगें।' संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि बोर्ड ने 24.08.2016 के अपने प्रस्ताव सं0 8/ख में यह निणर्य लिया कि 'पूर्व के आपूर्ति आदेश को मानते हुए कय किया जाना चाहिए एवं कार्यपालक पदाधिकारी को भुगतान हेतु आदेश दिया जाता है।' सामान की खरीदारी विहार वित्त नियमावली में उल्लखिति प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए था, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि बिहार वित्त नियमावली में उल्लखित किसी भी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया। यहॉ तक कि निविदा भी नहीं निकाली गयी।

5. बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम के किस प्रावधान के तहत M/S Deo Chandra Singh Motors pvt. Ltd. Patna को राशि रू. 1274312/– का भुगतान अग्रिम स्वरूप प्रदान किया गया। आपूर्ति आदेश के शर्त सं0 –8 से यह स्पष्ट होता है कि सामान की आपुर्ति आपूर्तिआदेश प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कर देना था, परन्तु सामान की आपूर्ति प्रस्तुत संचिका के अनुसार 30 माह बाद 12.08.2016 को किया गया। इतने दिन बाद सामान की आपूर्ति नहीं करने पर कार्यालय के द्वारा अग्रिम के समायोजन एवं सामान की तय समय में आपूर्ति के लिए कार्यालय के द्वारा की गयी कारवायी से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
6. संचिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान का कय दिनांक 21.08.12 को सभापति महोदय की अध्यक्षता में सामन्य बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव सं0 9/क/ग में लिए गए निर्णय के आलोक में एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्र सं0 862/21.02.2008 के कम सं0 12 में निदेश के आलोक में किया गया। जिसमें यह स्पष्ट था कि 'जहॉ तक ट्रैक्टर एवं अन्य संयंत्र कय करने का प्रश्न है इस संबंध में अन्य नगर निकायों द्वारा किए गए कय के आधार पर कार्रवाई की जाय ताकि अनावश्यक व्यय एवं विलंब न हो।' इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक पत्र सं0 2866/03.05.2016 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया है कि खरीद से संबंधित पूर्व के सभी आदेश को निरस्त किया जाता है एवं निदेशित किया जाता है कि सभी खरीद विहार वित्त नियमावली 2005 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही किया जायेगा, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि सामान अनततः 12.08.2016 को आपूर्ति किया गया एवं राशि का भुगतान किया गया। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान के कम में अनावश्यक विलंब हुआ एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश सं0 2866/03.05.2016 का भी पालन नहीं किया गया। किस परिस्थिति में अनावश्यक विलंब हुआ एवं आदेश सं0 2866/03.05.2016 का उल्लंधन हुआ। अंकेक्षण दल ने अवगत कराने का अनुरोध किया।
7. आपूर्ति किए गए कम्पैक्टर के लिए एक खास तरह के डस्टबीन की आवश्यकता होती है जिसके दोनो तरफ हुक की तरह का लोहा निकला रहता है, उसी हुक को कम्पैक्टर के द्वारा पकड़ कर

Automatic रूप से कम्पैटर में डाल दिया जाता है। अंकेक्षण दल ने अनुरोध किया कि दल को इस बात से अवगत कराया जाय कि बेतिया नगर परिषद् के पास इस तरह के कितने डस्टबीन उपलब्ध है तथा वह सभी डस्टबीन नगर के किस संड़क पर अवस्थित हैं। सभी डस्टबीन की खरीद किस वर्ष की गयी हैं। भंडार पंजी भी उपलब्ध करायी जाय। उससे संबंधित भंडार पंजी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

8. संचिका में संलग्न पृष्ट सं0 30 से यह स्पष्ट पता चलता है कि कम्पैक्टर दिनांक 23.07.2014 को ही अलवर (राजस्थान) में तैयार कर लिया गया था। इसके साथ साथ संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2015 को किया गया जिसमें कार्यालय के तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। सामान 2016 को आपुर्ति की गयी। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि तैयार ट्रक चेचिस कम्पेक्टर के साथ 2014 से 2016 तक कहॉ था। अगर 2014 में ही तैयार हो चुका था तो किस कारण से बेतिया नगर परिषद् ने उसे प्राप्त नहीं किया तथा अगर नहीं प्राप्त किया तो कार्यालय के स्तर पर क्या क्या कदम उठाये गये ताकि सामान ससमय प्राप्त हो सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान 2014 से ही किसी अन्य जगह पर चालू अवस्था में था तथा उसी सामान को 2016 में बेतिया नगर परिषद् को हस्तगत करा दिया गया।
9. संचिका से यह स्पष्ट पता चलता है कि मोटर यान निरीक्षक के द्वारा अभी तक कम्पैक्टर की जांच नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अभी तक किसी Third party के द्वारा सामान की जांच नहीं की गयी है तो किस आधार पर पूर्व राशि का भुगतान किया गया।
10. उक्त कम्पैक्टर का वाहन अधिनियम के तहत निवंधन किया गया है अथवा नहीं। निवंधन संख्या से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
11. कम्पैक्टर को भंडार पंजी में हस्तागत किया गया या नहीं । भंडार पंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
12. कम्पैक्टर का लौगबुक भी दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
13. इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समान खरीदने के समय बिहार वित्त नियमावली के नियम अध्याय–8 नियम 124 एवं General Rules of purchasing का पालन नहीं किया गया। अगर पालन किया जाता तो निविदा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती एवं शायम इससे कम दाम पर समान ससमय प्राप्त हो सकता था, जिससे आम जन को ज्यादा लाभ होती।
14. आपुर्ति आदेश में सभी समानों पर वैट की 13.5 प्रतिषत का ज़िक किया गया था। बिहार वैट अधिनियम 2005 की धारा 40 के अनुसार सरकारी खरीद में वैट की राशि की कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए था, संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि वैट के रूप में राशि रू.319000/– की कटौती की गयी जबकि उक्त नियमानुसार राशि रू.

470570/– की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार राशि रू. 151570/– का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त 1,2,3,4,5 एवं 6 बिन्दुओं के कारण पृच्छा के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यादेश पत्र सं 862 दिनांक 21.02.2008 के आलोक में निर्गत किया गया था। चूकि सामान की आपूर्ति 2016 में की गई थी अतः अग्रिम की समायोजन को ध्यान में रखते हुए समान का अंतिम भुगतान किया गया।

बिन्दु 7 के आलोक में कहा गया कि कम्पेक्टर के लिए डस्टबीन बेतिया नगर परिषद में अभी तक उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु 8 के आलोक में कहा गया कि इस संबंध में आपूर्तिकर्ता से पत्राचार किया जायेगा एवं अद्यतन स्थिती से कार्यालय को अवगत कराया जायगा।

बिन्दु 12 के जवाब में कहा गया कि लॉगबुक अभी तक नहीं खोला गया है। गाड़ी से कोई काम नहीं लिया जा रहा है।

बिन्दु 14 के जवाब में कहा गया कि अधिक भुगतान के संबंध में आपूर्तिकर्ता ये पत्राचार किया जाएगा। यदि वैट की राशि का जमा प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि से कटौती कर कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

कंडिका– 4 ट्रैक्टर की खरीद में अनियमितता (राशि– रू. 21.48 लाख) एवं अधिक भुगतान (राशि– रू.1.72 लाख)

ट्रैक्टर की खरीद से संबधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. दिनांक 18.03.15 को नगर परिषद् की सामन्य बैठक माननीय सभापति की अध्यक्षता में की गयी, जिसके प्रस्ताव सं0–02 में चार ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय लिया गया।
2. निर्णय के आलोक में दैनिक सामाचर पत्र 'दैनिक जागरण' में दिनांक 24.05.15 को निविदा (01/2015–16) प्रकाशित की गयी। निविदा में निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथी 01.06.15 थी। निविदा खोलने की तिथि 01.06.15 ही निर्धारित की गयी।
3. निविदा के आलोक में 10 निविदा प्राप्त हुई। तकनीकि निविदा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष दिनांक 01.06.15 को खोला गया। विचारोपरान्त तुलनात्मक विवरणी के आधार पर चार निविदा ही स्वीकृत की गयी।
4. तुलनात्मक बीड में Qualify निविदादाता का वित्तीय बीड दिनांक 08.08.15 को खोला गया एवं निम्न दर समर्पित करने वाले फर्म मे0 नन्दलाल प्रसाद एण्ड कम्पनी, मोतीहारी का चयन किया गया। (प्रति पीस रू. 537000/–)
5. कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चयनित निविदादाता की संम्पुष्टि 20.08.15 के सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0–02/ख में की गयी।

6. आगे संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तुलनात्मक विवरणी के आधार पर सबसे निम्न दर देने वाले ऑटो एजेन्सी, स्टेशन रोड बेतिया को चयनित इसलिए नहीं किया गया कि संलग्न बुधनी रिपोर्ट में ऑटो एजेन्सी, स्टेशन रोड के द्वारा निविदा में दिए गए ट्रैक्टर 29 एच.पी का बताया गया था एवं शेष बचे तीन निविदादाता में सबसे निम्न दर समर्पित करने वाले मे0 नन्दलाल प्रसाद एण्ड कम्पनी, मोतीहारी को प्रति पीस रू. 537000/– पर चयन किया गया।

7. संचिका में संलग्न तकनीकी एवं वित्तीय बीड के तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि दोनों विवरणी पर कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यालय के एक सहायक का हस्ताक्षर पाया गया।

8. चयनित निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। आपूर्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से निदेशित था कि 34 एच.पी. का ही ट्रैक्टर आपूर्ति किया जाना है। (597/22.08.2015)

9. आपूर्ति किए गए सामानों की जांच मोटर यान निरीक्षक के द्वारा दिनांक 23.11.2015 को की गयी और पाया गया कि चारो ट्रैक्टर 34 एच.पी का है।

10. आपूर्ति आदेश के आलोक में चार ट्रैक्टर की आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	सभी कर सहित मुल्य	भुगतान की गयी राशि (अग्रिम के रूप में)	चेक सं0/दिनांक
1	2148000.00	1660000.00	ए–711011/10.12.15

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 24.05.15 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 01.06.15 दी गयी है। **अर्थात केवल 09 दिन का ही समय दिया गया था** तथा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय के द्वारा स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि

नियमावली का पालन नहीं किया गया जिसके कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

2. तकनीकि निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था। तकनीकि निविदा के चयन में तकनीकि व्यक्ति का भाग लेना एवं उनकी सहमति आवश्यक है। बिना तकनिकि व्यक्ति की उपस्थिति में तकनीकि निविदा पर किस प्रकार विचार किया गया। बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेड एफ का पालन नहीं किया गया।

3. संचिका मे संलग्न तुलनात्मक विवरणी से यह स्पष्ट है कि सबसे निम्न दर देने वाले ऑटों एजेन्सी, स्टेशन रोड बेतिया का चयन इसलिए नहीं किया गया कि संलग्न बुधनी रिपोर्ट में ऑटो एजेन्सी, स्टेशन रोड के द्वारा निविदा में दिए गए ट्रैक्टर 29 एच.पी का बताया गया (पृष्ट सं0 121, क्रम सं0 69, वर्ष जुलाई 2009) जबकि उसी संचिका में संलग्न बुधनी रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति किए गए ट्रैक्टर एक्कार्ट मॉडल सं0 434 को 31.4 एच.पी. का बताया गया है। (पृष्ट सं0 47, क्रम सं0 17, वर्ष फरवरी 2006)। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस बुधनी रिपोर्ट के आधार पर सबसे कम दर देने वाले निविदादाता का चयन इसलिए नहीं किया गया कि ट्रैक्टर 34 एच.पी का नहीं था, परन्तु जिस ट्रैक्टर का चयन किया गया वह भी उसी रिर्पोट के आधार पर 34 एच.पी का नहीं पाया गया, जबकि आपूर्ति आदेश में 34 एच.पी. के ट्रैक्टर की आपूर्ति का आदेश दिया गया था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था उसी पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति आदेश के विपरीत सामान को स्वीकार किया गया एवं राशि का भुगतान किया गया।

4. संचिका में संलग्न तकनोकी बीड के तुलनात्मक विवरणी (पृष्ट सं0 94) एवं वित्तिय बीड का तुलनात्मक विवरणी (पृष्ट सं0 95) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस मॉडल के ट्रैक्टर का चयन वित्तिय बीड के आधार पर किया गया था उस मॉडल के ट्रैक्टर का जिक्र तकनिकी बीड में नहीं किया गया था। अतः इस परिस्थिति में अंकेक्षण दल के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि दल को यह बताया जाय कि किस परिस्थिति में तकनीकी बीड में नहीं उललिखित ट्रैक्टर का विवरण वित्तिय बीड में किया गया एवं उसी का चयन किया गया। किसी खास निविदादाता को Undue favour का सफल प्रयास है।

5. संचिका में संलग्न तकनिकी बीड के तुलनात्मक विवरणी (पृष्ट सं0 94) एवं वित्तिय बीड का तुलनात्मक विवरणी (पृष्ट सं0 95) पर सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी एवं एक कार्यालय सहायक का हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों बीड खोलते समय हस्ताक्षरित व्यक्ति के आलावे कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। यह बिहार वित्त नियमावली में उल्लखित प्रावाधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

6. तकनीकी बीड में तकनीकी आधार पर एवं वित्तिय बीड में वित्तिय आधार पर फर्मों का चयन एवं रद्द किया जाना चाहिए परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तकनीकी बीड में Qualify फर्म का वित्तिय बीड में तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया जाता है यह नियम विरूद्ध है। अतः वित्तिय बीड के आधार पर सबसे निम्न निविदादाता का चयन न करने के कारण नगर परिषद् को राशि रू. 172232/–(537000 - 493942×4) का अधिक भुगतान करना पड़ां।
7. भंडार पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
8. सभी चारों ट्रैक्टर का लॉगबुक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जिससे पता चल सके कि खरीदे गये सामान उपयोग में लायी जा रही है।
9. वित्तीय औचित्य के अनुसार सरकारी राशि के खर्च करते समय सरकारी कर्मचारी को उतनी ही सावधानियॉ बरतनी चाहिए, जितनी वह अपने धन को खर्च करते समय बरतता है, एवं उसे वित्तीय औचित्य के उॅचे स्तर का पालन करना चाहिए, परन्तु इन सारी प्रक्रियाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहॉ वित्तीय औचित्य के किसी भी स्तर का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त बिन्दु 1 एवं 2 के जवाब मे नगर परिषद कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भविष्य में बिहार नियमावली में बताये गये प्रावधान के तहत ही भुगतान किया जाएगा।

बिन्दु 3,4,5 एवं 6 के जवाब में कहा गया कि तुलनात्मक एवं वित्तीय विवरणी के आधार पर चयन तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा किया गया था, पत्राचार कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

बिन्दु 7 के जवाब में कहा गया कि चूकि आपूर्तिकर्ता को अंशतः भुगतान किया गया है इसलिए आनर बुक आपूर्तिकर्ता के पास ही है। इसलिए भंडार पंजी में हस्तगत नहीं किया गया है, परंतु सामग्री कार्यालय मे उपलब्ध है। सुझाव को मानते हुए भंडार पंजी में दर्ज किया जायेगा।

बिन्दु 8 के जवाब में कहा गया कि लॉगबुक खुल चुका है जिसे उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सामानों की खरीदारी के समय बिहार वित नियमावली के किसी भी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यहां तक की कार्यालय के द्वारा निर्गत कार्यादेश में उल्लिखित शर्तो का भी पालन नहीं किया गया एवं कम एच.पी. का टैक्टर का क्रय किया गया एवं राशि का भुगतान किया गया।

उक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कार्यालय के द्वारा स्पष्ट नीति नहीं अपनाये जाने एवं गलत निविदा प्रकिया अपनाए जाने के कारण राशि रू. 172232/– का अनियमित व्यय हुआ।

कंडिका– 5 एल.ई.डी. लाइट की खरीद में अनियमितता (राशि–रू. 190.38 लाख)

एल.ई डी. लाइट की खरीद से संबधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. दिनांक 18.03.2015 की सामन्य वैठक के प्रस्ताव सं0 6–ख में यह निणर्य लिया गया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में 10 –10 एल.ई.डी. लाइट लगाया जाय।

2. निणर्य के आलोक में निविदा सूचना सं0 506/23.07.17 दैनिक सामाचर पत्र 'प्रभात खबर' दिनांक 06.08.2015 को निकाली गयी। निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 08.08.15 थी एवं निविदा खोलने की तिथि 08.08.15 ही थी।
3. दिनांक 08.08.15 को पांच निविदादाताओं का तकनीकी निविदा खोला गया एवं तुलनात्मक विवरणी पर विचारोपरान्त दो निविदादाता का चयन किया गया। 1. लक्ष्मी कन्सट्रक्सन, सीवान 2. श्री सती ट्रेडिंग कम्पनी, सीवान।
4. तुलनात्मक बीड में सफल निविदादाता का वित्तिय बीड दिनांक 08.08.2015 को खोला गया एवं निम्न दर समर्पित करने वाले फर्म का चयन किया गया। (प्रति पीस रू. 55900/– 65 वॉट, बजाज कम्पनी)
5. कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चयनित निविदादाता की संम्पुष्टि 20.08.15 के सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0–02 में की गयी।
6. चयनित निविदादाता के द्वारा एकरारनामा दिनांक 22.08.15 को किया गया एवं कार्यालय के द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (596/22.08.15), संशोधित कार्यादेश सं0 869/16.08.16/पृष्ट सं0 298 एवं कार्यादेश सं0 1262/28.10.16– 35 पीस के लिए।
7. पुनः पारित दर पर वार्ता की गयी एवं लक्ष्मी कंसट्रसन के द्वारा प्रति पीस रू. 44900/– पर अंततः सहमति दी गयी। (पृष्ट सं0 297)
8. आपुर्तिकर्ता के द्वारा विभिन्न तिथियों में 424 लाइट का अधिष्टापन कार्यालय के द्वारा चयनित स्थान पर किया गया। सभी लाइटों का विभिन्न तिथियों में विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के द्वारा सत्यापन किया गया और पाया गया कि सभी लाइट विशिष्टियों के अनुरूप है, परन्तु कार्यालय आदेश सं0 1171/07.10.16 के आलोक में सभी लाइटों का विभिन्न तिथियों में नगर प्रबंधक एवं कार्यालय के कनिय अभियंता के द्वारा किया गया तो पाया गया कि निविदा के द्वारा मांगी गयी विशिष्टियों के अनुरूप लाइट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन भी विभिन्न तिथियों में प्रतिवेदित किया गया। (पृष्ट सं0 361,365,400,401)
9. आपूर्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा राशि का भुगतान किया गया।

विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	सभी कर सहित राशि	आयकर की कटौती @1%	वैट की कटौती @5%	सुरक्षित जमा राशि की कटौती @10%	कॉलम सं0 5 के अतिरिक्त राशि की कटौती @10%	अंतिम भुगतान	चेक सं0/दिनांक	लाइटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5208440	52084	260420	520840	———	4375056	279696/27.08.16	116
2	4490000	44900	224500	449000	449000	3322600	279700/27.10.16	100

3	3277700	32777	163885	327770	327770	2425498	711474 / 27.10.16	73
4	4490000	44900	224500	449000	449000	3322600	711541 / 24.01.17	100
5	1571500	15715	78575	157150	157150	1162910	147176 / 24.01.17	35
कुल	19037640	190376	951880	1903760	1382920	14608664		424

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 126 Fundamental Principal of public buying की बात कही गयी है। 126 (i) के अनुसार "the specifications in terms of quality, type as also quantity of goods to be procured should be clearly spelt out keeping in view the specific needs of the procuring organizations." परन्तु संचिका के संलग्न निविदा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निविदा में quantity/संख्या की बात कहीं भी नहीं लिखी पायी गयी। कितनी संख्या की आवश्यकता हैं इसका आधार निविदा के पहले संचिका में नहीं पाया गया।
2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । जिसके तहत एक ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर, में दिनांक 06.08.2015 को निकाली गयी।
3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later.Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 06.08.15 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 08.08.15 दी गयी है **अर्थात सिर्फ 02 दिन का ही समय दिया गया** तथा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वय रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।